# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

केसर देवी पत्नि उगमा बलाई नि. कुराडिया वगैरा

बनाम

भगवाना पिता कजोड बलाई नि. कुराडिया वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 624/2022

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुये |
|---|---|---|
| 22 .06.22 | प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि **ग्राम खेराडिया माताजी का खेडा प. ह. कुराडिया तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1750 रकबा 0.2752 हैक्टेयर, आ.न. 1751 रकबा 0.6475 हैक्टेयर तथा ग्राम कुराडिया प. ह. कुराडिया तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1711 रकबा 1.4892 हैक्टेयर, आ.न. 1713 रकबा 0.6799 हैक्टेयर** स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।<br>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।<br>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि **ग्राम खेराडिया माताजी का खेडा प. ह. कुराडिया तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1750 रकबा 0.2752 हैक्टेयर, आ.न. 1751 रकबा 0.6475 हैक्टेयर** तथा ग्राम कुराडिया **प. ह. कुराडिया तहसील जहाजपुर में स्थित** आ. न. 1711 रकबा **1.4892 हैक्टेयर, आ.न. 1713 रकबा 0.6799 हैक्टेयर** की पडोसियान की उपस्थिति मे पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000–रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।<br>आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>उपखण्ड अधिकारी,<br>जहाजपुर(भीलवाडा) | |

Scanned with CamScanner